न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2017

अनवान :

1. कुलवीर पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र धनपत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ - **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 25.1.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के मु0नं0 16 के किला नं0 15, 16, 17, 25 की 1.012 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी के पूर्वी तरफ अप्रार्थी की चक 4 जेएसएल के ही मु0नं0 17 के किला नं0 4 ता 7, 11 ता 15, 18, 19, 20, 21, 22 व 23/1 की खातेदारी स्थित है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी में सदामत से ही गांव बेर से भैरूछानी जाने वाले आम रास्ता से होकर अप्रार्थी की चक 4 जेएसएल के मु0नं0 17 के किला नं0 4 व 7 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण एवं किला नं0 14 के उतरी पश्चिमी कोना से होते हुए किला नं0 13, 12, 11 के उतरी तरफ से होते हुए प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 4 जेएसएल के मु0नं0 16 के किला नं0 15 में प्रवेश करता है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में अप्रार्थी की खातेदारी में से जाने वाला उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा नहीं होने के चलते अप्रार्थी उक्त रास्ता को अवरूद्ध आदि करने की बात कहता है जबकि उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच काफी दिनों पहले ही सहमति हो गई थी एवं उक्त रास्ता के बदले में अप्रार्थी ने प्रार्थी से बरून अदालत राशि भी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में जाने के लिये अप्रार्थी ने सहमति भी दे दी थी।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में अप्रार्थी की खातेदारी में से जाने वाले रास्ता के अलावा अन्य कोई चालु या स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। यदि अप्रार्थी उक्त रास्ता को अवरूद्ध कर देते है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थी की खातेदारी काश्त के अभाव में बंजर हो जायेगी। ऐसे में प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी की उक्त खातेदारी में से सवा आठ फिट चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी ने इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दौराते हुए राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 4 जेएसएल की अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं खातेदार को अपनी आराजी की देख रेख व कृषि उत्पाद को ढोने के लिए रास्ता की आवश्यकता होती है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक, सुलभ व कम दूरी का रास्ता है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित शर्त 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन कण्डिशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 जेएसएल के मु0नं0 16 के किला नं0 15 मे प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी की चक 4 जेएसएल के मु0नं0 17 के किला नं0 4 व 7 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण 330 फिट लम्बाई एवं सवा आठ फिट चौडाई में एवं किला नं0 14 के उतरी पश्चिमी कोना में सवा आठ फिट से होते हुये किला नं0 13, 12, 11 के उतरी तरफ प्रत्येक किला की पूरी लम्बाई में सवा आठ फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा के आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़